


क्रमांक:-प-19(3)सैकवि/98/ 8686-711

दिनांक:- 25/09/2020

-: कार्यालय आदेश :-

अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार फन्ड से पूर्व सैनिकों के बच्चे जिनके द्वारा सी.डी.एस/एनडीए/आईएमए/ओटीए/एयर फोर्स/नेवल एकेडमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विभाग के पत्र क्रमांक 14154-70 दिनांक 28.11.1998 द्वारा वर्तमान में दी जा रही एकमुश्त कोचिंग कक्षा अनुदान की राशि रु 5000/-मात्र को बढ़ाकर रु 15000/-मात्र किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह आदेश 01 जुलाई, 2020 को या इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू माना जायेगा।

  
(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)  
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग  
राज., जयपुर

प्रतिलिपी:-

- 1-जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
- 2-संबंधित लिपिक
- 3-लेखाकार फन्ड

  
निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर 302005

Email - rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in

☎ - 0141-2227650, 0141-2227897